न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 60/2019

1 अन्जु पुत्री पवन कुमार पत्नी प्रभुदयाल जोशी जाति ब्राहम्ण निवासी शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 विनोद बेवा पवन कुमार।
2 लक्ष्मी पुत्री पवन कुमार।
3 राधा देवी पत्नी बंशीधर।
4 महावीर प्रसाद पुत्र बींजराम।
5 नरेन्द्र कुमार पुत्र राधाकिशन।
6 श्योकोरी पत्नी गोरधनलाल।
7 बाबूलाल पुत्र गोरधनलाल।
8 परमेश्वरी देवी पत्नी मक्खनलाल।
9 भंवरलाल पुत्र मक्खनलाल।
10 ताराचन्द पुत्र मक्खनलाल।
11 विनोद कुमार पुत्र मक्खनलाल।
12 सतीश कुमार पुत्र मक्खनलाल।
13 कल्पना पुत्री मक्खनलाल।
14 गोविन्द पुत्र बाबूलाल समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण शिवसिंहपुरा तहसील व जिला सीकर।
15 उप पंजियक सीकर जिला सीकर।
16 तहसीलदार सीकर जिला सीकर बहैसियत भू--धारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी
सीकर दिनांक 26.07.2019 मुकदमा नम्बर 315/14
अन्जू बनाम विनोद वगैरह।

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बनवारीलाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 31.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 315/2014 में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम भादवासी की भूमि खसरा नम्बर 341 एवं ग्राम शिवसिंहपुरा की भूमि खसरा नम्बर 155,155/309,156,157 के सन्दर्भ में बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1,2,8 से 13 की ओर से आदेश 7 नियम 11 का आवेदन प्रस्तुत कर वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने इस आवेदन पर उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में वादिया/अपीलांट द्वारा प्रति0/रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संख्या 1 विनोद देवी जो कि वादिया/अपीलांट की माता है जिसके सम्बंध में केवल मात्र यह तथ्य उल्लेखित किया गया है कि वह मानसिक बीमार है तथा परिवार का भला बुरा समझने में असमर्थ है इसी का फायदा उठाकर प्रति0/रेस्पोडेंट संख्या 2 व अन्य वादग्रस्त कृषि आराजियात को विक्रय करने पर आमादा है इसी विन्दु के जवाब में प्रति0/रेस्पोडेंट संख्या व रेस्पोडेंट लक्ष्मी देवी द्वारा अपने जवाब दावे के पेरा संख्या 4 की लाईन नम्बर 2 में दोनो को निसहाय होना अंकित किया गया है अर्थात असहाय है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार करते समय रेस्पोडेंट संख्या 1 विनोद देवी को विकृत चित्त होना मानकर आदेश पारित किया है जबकि विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय द्वारा वाद पत्र की सुनवाई हेतु सम्मन जारी किया गया जिसकी तामिल होने पर रेस्पोडेंट संख्या 1 विनोद देवी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा उनका वकालतनामा पेश कर वाद पत्र का जवाब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया इससे भी यह पूर्णतः प्रमाणित है कि विनोद देवी रेस्पोडेंट संख्या 1 अपनी पैरवी करने हेतु पूर्णतया सक्षम व योग्य है चूंकि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 विनोद देवी की ओर से जवाब पेश हुआ है जिस पर हस्ताक्षर है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर जो चुनौतीग्रस्त आदेश पारित किया गया है वह केवल मात्र समरी आदेश की श्रेणी में आता है विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कानूनी तथ्यों को नजर अन्दाज कर केवल मात्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को पढ़कर ही आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से ही यह साबित है कि आदेश अपास्त किये जाने योग्य है क्योंकि एक ओर विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 26.07.2019 में आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार कर वाद पत्र खारिज किया तथा दूसरी ओर पुनश्चः में प्रतिवादी संख्या 6 श्योकोरी का जवाब व काउन्टर वाद पत्र रिकार्ड पर ले लिया गया जबकि वाद पत्र खारिज होने पर काउन्टर वाद रिकार्ड पर लिये जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। अत अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादी अपीलांट के वाद पत्र की मद संख्या तीन की पांचवी पंक्ति में अंकित है कि वादिया की माता प्रतिवादी संख्या एक जो मानसिक रूप से बीमार तथा विकृतचित है जो अपने व अपने परिवारका भला बुरा समझने में असमर्थ है। इसी पेश की चौदहवी पंक्ति में अंकित है कि प्रतिवादी संख्या एक विकृत चित अवस्था में है। प्रस्तुत वाद पत्र से स्पष्ट है कि प्रतिवादिनी संख्या एक विकृत चित माईन्ड औरत है। किसी भी विकृत चित व्यक्ति के खिलाफ बिना नेक्सट फ्रेण्ड के वाद संस्थित किया जाना विधि द्वारा वर्जित होने से वाद अविलम्ब रीजेक्ट किये जाने योग्ये है। वादपत्र की सहायता की मद संख्या 11क में विकृतचित प्रतिवादिनी के खिलाफ डिक्री को इस्तदुआ की है तथा सहायता की मद ख में विकृत चित प्रतिवादिनी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी है जो कि विधि द्वारा वर्जित होने से विचारण न्यायालय द्वारा कतई जारी नही की जा सकती है। वाद पत्र अविलम्ब मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय में वादी के वाद पत्र में इस स्वीकारोक्ति के उपरान्त वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया गया है। विधिक प्रावधानों के अनुसार विकृत चित व्यक्ति के विरूद्व नेक्सट फ्रेन्डस के बिना प्रस्तुत किया गया वाद विधि द्वारा वर्जित होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में ए.आई.आर. 2024 पेज 49, ए.आई.आर. 1998 पेज 153 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी अपीलांट के वाद पत्र की मद संख्या तीन की पांचवी पंक्ति में अंकित है कि वादिया की माता प्रतिवादी संख्या एक जो मानसिक रूप से बीमार तथा विकृतचित है जो अपने व अपने परिवारका भला बुरा समझने में असमर्थ है। इसी पेरा की चौदहवी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

पंक्ति में अंकित है कि प्रतिवादी संख्या एक विकृत चित अवस्था में है। प्रस्तुत वाद पत्र से स्पष्ट है कि प्रतिवादिनी संख्या एक विकृत चित माईन्ड औरत है। किसी भी विकृत चित व्यक्ति के खिलाफ बिना नेक्सट फ्रेण्ड के वाद संस्थित किया जाना विधि द्वारा वर्जित होने से वाद अविलम्ब रीजेक्ट किये जाने योग्य है। वादपत्र की सहायता की मद संख्या 11क में विकृतचित प्रतिवादिनी के खिलाफ डिक्री को इस्तदुआ की है तथा सहायता की मद ख में विकृत चित प्रतिवादिनी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी है जो कि विधि द्वारा वर्जित होने से विचारण न्यायालय द्वारा कतई जारी नही की जा सकती विचारण न्यायालय में वादी के वाद पत्र में इस स्वीकारोक्ति के उपरान्त वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया गया है। विधिक प्रावधानों के अनुसार विकृत चित व्यक्ति के विरूद्व नेक्सट फ्रेन्डस के बिना प्रस्तुत किया गया वाद विधि द्वारा वर्जित होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर